अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्या 02/2012

रूदो खातून उर्फ रूदनी देवी —— अपीलार्थी

वनाम

गोबर्द्धन प्रसाद सिंह —— रेस्पाण्डेन्ट

–:आदेश:–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी के द्वारा भुमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बीरपुर के आदेश दिनांकः 29.11.2011 ई० अंदर वाद संख्या– 48/11 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट के दाखिल किया गया है।

वाद पुकारा गया। रेस्पोण्डेन्ट अनुपस्थित । अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया ।

प्रस्तुत अपीलवाद में संक्षेप में मामला यह है कि मौजा– नरहा, थाना– राधोपुर, जिला– सुपौल अन्दर खाता पुराना 71/क, खाता नया 324, खेसरा पुराना 490 खेसरा नया 816 रकबा 15 कट्ठा 12 धुर भूमि बजरिये आपुसी इन्तजाम के गोरेलाल चौधरी, पिता– सन्त लाल चौधरी के हिस्से में आया। उनके दिगर फरीक नसीब लाल चौधरी वो महाबीर चौधरी वो उनके लड़के ब्रम्ह नारायण जयसवाल वो उनके लड़के कल्याण प्रसाद रश्मि को कोई हक सरोकार नहीं रहा। गोरेलाल चौधरी विवादी जमीन मोकदमा हाजा मुनर यादव को निबंधित केवाला दिनांक 5.11.84 द्वारा बिक्री किये वो मुनर यादव ने अपनी उक्त खरीदगी जमीन निबंधित केवाला दिनांक 21.01.85 द्वारा रकबा 7 कट्ठा 16 धुर फिदा हुसैन को एवं निबंधित केवाला दस्तावेज दिनांक 20.11.85 द्वारा रकबा 7 कट्ठा 16 धुर रूदनी देवी अपीलार्थी/वादी को बिक्री किये एवं दखल कब्जा दे दिये वो फिदा हुसैन अपनी खरीदगी जमीन रकबा 7 कट्ठा 16 धुर जो मुनर यादव से खरीद किये थे, निबंधित केवाला दिनांक 31.01.94 द्वारा रकबा 7 कट्ठा 16 धुर रूदो खातुन के हाथो बेच दिया। इस कदर अपीलकर्त्ता/वादी को विवादी जमीन दोनों निबंधित केवाला दस्तावेज दिनांक 20.11.85 एवं 31.01.94 से हक दखल में है वो रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी के केवाला दस्तावेज दिनांक 07.11.07 ई0 के बहुत कवल का होना अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया है।

रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी पुकार पर अनुपस्थित। रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी लिखित बहस के माध्यम से कथन करते है कि प्रश्नगत जमीन स्व0

महाबीर चौधरी के पूर्वजों की मिल्कियत थी जिसे स्व0 चौधरी के मरणोपरान्त मौजा नरहा स्थित जमीन का अपुसी बँटवारा उनके वारिसानों के द्वारा किया गया जिसमें प्रश्नगत जमीन ब्रम्ह नारायण चौधरी उर्फ ब्रम्ह नारायण जयसवाल के हिस्से में होने के कारण पूर्व से उन्हीं के दखल कब्जा में रहा। आगे यह भी कथन करते है कि प्रश्नगत जमीन के लिए ब्रम्ह नारायण जयसवाल एवं रूदो खातुन के विक्रेता मुनर यादव के बीच अनुमंडलीय दण्डाधिकारी बीरपुर के न्यायालय में प्रश्नगत जमीन के निश्वत धारा 145 द0 प्र0सं0 का मुकदमा चला, जिसमें दिनांक 18.06.87 को अनुमंडल दण्डाधिकारी बीरपुर ने मुनर यादव के केवाला को गलत करार देते हुए प्रश्नगत जमीन पर ब्रम्ह नारायण जयसवाल का हक पाते हुए आदेश पारित किया तथा मुनर यादव को प्रश्नगत जमीन पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया। इस प्रकार अपीलार्थी/वादी को मुनर यादव से प्राप्त केवाला का कोई औचित्य नही रह जाता है।रूदनी देवी ने प्रश्नगत भूमि ब्रम्ह नारायण जायसवाल की मिल्कियत समझ कर विकय केवाला दस्तावेज न0 1501 एवं 1502 दिनांक 16.03.94 को रकबा 0.15.17.0 खरीद किया। उक्त दस्तावेज में यह अंकित किया गया कि कुल जरसम्मन पाए जाने पर रसीद लिखकर केता को दे देंगे तब ही रूपया का पूर्ण वसूली समझा जायेगा। वर्णित जमीन का रूपया ब्रम्ह नारायण जयसवाल को नहीं दिया गया। इसी बीच श्री जयसवाल की मृत्यु हो गई। उनके पुत्र कल्याण प्रसाद रश्मि द्वारा बार–बार बकालतन नोटिश अपीलार्थी/वादी को रूपया देने हेतु भेजा गया। प्रश्नतगत जमीन का रूपया अपीलार्थी/वादी द्वारा नहीं दिया गया तो दिनांक 10.06.04 को निबंधित कैंसिलनामा संख्या 3114 एवं 3115 को तामिल किया गया, जिस आलोक में दिनांक 16.06.04 को निबंधित केवाला दस्तावेज संख्या 1492 एवं 1493 दिनांक 16.03.94 को रद्द कर दिया। उक्त कैंसिलनामा के आलोक में अपीलार्थी/वादी का प्रश्नगत जमीन पर कोई हक वो अधिकार नहीं रहा। निबंधित केवाला दस्तावेज संख्या 4795 दिनांक 07.11.07 को जमाबंदी रैयत के पुत्र श्री कल्याण प्रसाद रश्मि से खाता पु0 71 क खाता नया 324, खेसरा पुराना 490 नया 816 रकबा 0.15.13 धूर खरीद कर शांति पूर्ण दखल कब्जा के आलोक में जमाबंदी संख्या 788 कायम हुआ वो अद्यतन रेंट वील प्राप्त करते आ रहे हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख के परिशीलन से परिलक्षित होता है कि धारा 145 द0 प्र0 स0 के अन्तर्गत पारित आदेश ब्रम्हनारायण जयसवाल के पक्ष में है तथा 145 के विस्तृत आदेश में विवादित भूमि पर श्री जयसवाल का दखल कब्जा बताया गया है वो 145 केस के दौरान ही मुनर यादव ने उक्त जमीन रूदो खातुन को केवाला द्वारा बिकी किया वो उक्त आदेश के बाद रूदो खातुन ने ब्रम्हनारायण जयसवाल से भी केवाला लिया जिसमें शर्त यह था कि जरसम्मन पूरा रूपया मिलने के पश्चात विरकूट दिया जायेगा किन्तु पैसा नहीं प्राप्त होने के कारण उक्त केवाला को उनके पुत्र द्वारा रद्द कर दिया गया। पाया कि निम्न न्यायालय द्वारा मामले की विस्तृत एवं सम्यक विवेचना करते हुए न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अस्तु अपील अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

22/10/2013
आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

22/10/2013
आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा